R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
L.L.B. Part IInd
Paper VI th.
Environmental Law

पर्यावरणीय दायित्व एवं संसाधनों के दोहन के राज्य के संप्रभु अधिकार का बदलता परिदृश्य

वर्तमान शताब्दी दायित्व

परस्पराश्रितता की शताब्दी में दिन प्रतिदिन आर्थिक राजनीतिक और पर्यावरणीय परस्पर आश्रितता की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। स्टॉकहोम घोषणा के सिद्धांत 21 में स्पष्ट किया गया है कि "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को अपने स्वयं के पर्यावरणीय नीतियों के अनुपालन में अपने स्वयं संसाधनों के दोहन करने का संप्रभु अधिकार है और यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि उनकी अधिकारिता के भीतर अथवा नियंत्रण में होने वाले कार्यकलापों द्वारा अन्य राज्य अथवा राष्ट्रीय अधिकारिता की सीमा के पर क्षेत्रों के पर्यावरण को हानि न पहुंचे।" यह घोषणा इस बात का द्योतक है कि यद्यपि कि राज्यों को राज्य की अधिकारिता के अंतर्गत अपनी नीतियों के अनुसार संसाध

के दोहन का प्रमुख सम्पूर्ण अधिकार है. फिर भी यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यह इस सिद्धान्त के अधीन है कि राज्य क्रियाकलापों से दूसरे राज्यों तथा उनके नागरिकों के पर्यावरण को क्षति न पहुँचायें।

अतः समय पूर्व से न्यायालयों एवं अधिकरणों का दृष्टिकोण रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़िजन्य विधि के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्यों के ऊपर कुछ उत्तरदायित्व अधिरोपित किए गए हैं। इन्टरनेशनल कमीशन ऑन दी रीवर आडेर केस में परमानेन्ट कोर्ट ऑफ इन्टरनेशनल जस्टिस ने नदी तटीय राज्यों के सामान्य नौकावाहन के अधिकार को स्वीकार किया है। पाल्मस द्वीप मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि राज्यप्रभुसत्ता की संकल्पना में राज्यान्तर्गत दूसरे राज्यों के हित संरक्षित रखने का दायित्व सन्निहित है। ट्रेल स्मेल्टर पंचनिर्णय में कनाडा के धातु गलाने वाले कारखाने से सल्फर डाई आक्साइड के प्रदूषण से ब्रिटिश कोलम्बिया वाशिंगटन में पेड़ों और फसलों की बर्बादी सम्बन्धी विवाद के बारे में अधिकरण ने विचार व्यक्त किया कि किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी भूमि का प्रयोग इस तरह करे कि दूसरे देश वालों को क्षति पहुँचे। इस भावना को कोर्फू चैनल मामले में पुनः दोहराया गया।

Scanned with CamScanner

स्टॉकहोम घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दो निर्णय विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है। सन् 1996 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण युद्ध में राज्य द्वारा नाभिकीय परीक्षण के बारे में उसका निष्कर्ष पर्यावरण सम्बन्धी एवं विधि सम्बन्धी राज्यों के दायित्व को बिना प्रभावित किये स्पष्ट किया, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नाभिकीय हथियारों की धमकी या प्रयोग की विधिमान्यता के सम्बन्ध में परामर्श मांगे जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने घोषणा की कि "राज्यों का अपने क्षेत्र की गतिविधियों द्वारा दूसरे राज्य अथवा राज्य के बाहरी क्षेत्र के पर्यावरण का सम्मान अब पर्यावरण सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय विधि का अंग बन गया है
कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में राज्यों के पर्यावरण सम्बन्धी दायित्वों को अधिरोपित किया गया है। अस्तु द लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन 1982 के अनु० 192 में उपबन्धित किया गया है कि "राज्यों का सामुद्रिक पर्यावरण के संरक्षण एवं रक्षा के दायित्व है।" जबकि अनुच्छेद 194 में कहा गया है कि "राज्य सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कि उनकी अधिकारिता और नियंत्रण में सभी गतिविधियों इस तरह संचालित की जाती है जिससे कि दूसरे राज्यों और उनके पर्यावरण को प्रदूषण द्वारा हानि कारित न हो, साथ

आवश्यक उपाय अपनाएगा। सन् 1992 में रियो कांग्रेस ने स्टाकहोम कान्फ्रेंस के सिद्धांत 21 को पुनः सिद्धान्त 2 के रूप में दुहराया। परंतु इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

<u>समीक्षा</u> :- यदि अधिकारोन्मुख और कर्तव्योन्मुख विधिशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय विधिशास्त्र की व्याख्या की जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पर्यावरणीय विधिशास्त्र कर्तव्योन्मुख है। अंतर्राष्ट्रीय समेकता इसका मूल आधार है। C.W. Jenks ने 1966 में कहा था विश्व के सामने आने संवेदनशील मुद्दों में शांति और जनसंख्या के साथ पर्यावरण प्रदूषण सम्मिलित है। विकास गुणात्मकता में प्रमुख सामाजिक उद्देश्य के रूप में पोषणीयता, सामाजिक न्याय और सुरक्षा दृढ़तापूर्वक अंतर्निहित है। पर्यावरण आयाम ने विकासशील देशों की सहायता अपरिहार्य बना दिया है। इस दिशा में आवश्यकता और पारस्परिक स्व-हित अंतर्वलित है क्योंकि संसाधन अपक्षय और बढ़ती गरीबी के बीच अंतक्रिया को सम्बोधित करने की असफलता अग्रसारित होकर वैश्विक पारिस्थितिकीय समस्या का रूप धारण कर सकती है। पृथ्वी शिखर 1992 के सिद्धांत 23 में अपेक्षा की गयी है कि दबाव, अधीनस्थता और स्वामी अधीन

लोगों के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संभावनाओं को संरक्षण मिलना चाहिए। शान्ति विकास और पर्यावरणीय संरक्षण एक दूसरे पर आश्रित और अविभाज्य है।

पर्यावरणीय विधि के सार्वभौम मान्यता है। फिर भी कभी-कभी सदस्य राज्य दायित्व से बच निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कई कारण माने गये हैं, प्रथम नाभिकीय शक्ति को छोड़कर निरपेक्ष दायित्व का अभाव है। द्वितीय ऐसे अनुपालन की अपेक्षा उल्लंघन में ज्यादा माना जा रहा है। तृतीय दायित्वों का प्रवर्तन अत्यधिक कठिन है। चेर्नोबिल नाभिकीय विस्फोट और फ्रांस द्वारा बार-बार नाभिकीय परीक्षणों की सीमा से परे प्रभाव के लिए दायित्व का प्रवर्तन न किया जा सकना इसका उदाहरण माना जा रहा है। ये उदाहरण अपवाद हैं, सामान्य नियम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी दायित्व तथा नागरिक या राज्य विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत दायित्व के बीच विभाजन रेखा क्षीण होती जा रही है।

पर्यावरणीय विधिशास्त्र इन सभी विधियों का अध्ययन करता है जो प्रदूषण के विभिन्न रूपों को रोकने से सम्बन्धित हैं। ज्यों-ज्यों पर्यावरण प्रदूषण के नये तरीके विकसित होंगे उन्हें नियंत्रित करने हेतु विधि की आवश्यकता पड़ेगी।

Scanned with CamScanner